Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय सहायक कलक्टर राशमी** मुकाम **राशमी**

बद्रीलाल वगैराह बनाम **गोपीलाल वगैराह**

किस्मा मुकदमा **राजस्व प्रार्थना पत्र** नं0 08 सन् **2020**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/6/23	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियानं शिविर कैम्प पावली में पेश हुई। अधिवक्ता वादी हाजिर। उभयपक्ष हाजिर। अधिवक्ता वादी द्वारा पुनः बहस हेतु निवेदन किया गया, जिसे जिसे पुनः मजमे आम में सुना गया। अधिवक्ता वादी द्वारा निवेदन किया गया कि मौका रिपोर्ट दिनांक 08.09.2022 के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र पर मनन किया। तहसीलदार राशमी द्वारा अपने पत्रांक/भू0अ0/22/1064 दिनांक 08.09.2022 से प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार राशमी द्वारा अवगत कराया गया की प्रार्थी की आराजीयात पर पहुँचने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है एवं पक्षकारान को राजीनामें बाबत् सहमत नही है। प्रार्थी की आराजीयात पर पहुँचने के लिए आराजी संख्या 356 रकबा 3.52 ऐअर प्रस्तावित किया गया । जिसका प्रतिकर राशि इस क्षेत्र की डीएलसी दर की दुगुनी राशि से कुल 63,086/- रूपये अक्षरे तिरसठ हजार छियासी रूपये मात्र प्रतिकर रूप में तय की गई है। जो रिकॉर्ड पर उलब्ध है। रिपोर्ट तहसीलदार राशमी अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी आराजियात पर पहुँचने हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'अ' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार इस अनुसार 3.52 ऐअर भूमि हेतु प्रतिकर राशि 63,086/- रूपये नियमानुसार देय बनते है जो कि आराजी संख्या 356 [illegible]दार को हक हिस्सा अनुसार देय है। सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राशमी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2023.08.01 16:21:10 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'अ' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 356, में से तहसीलदार राशमी की मौका रिपोर्ट में संलग्न प्रस्तावित लघुत्तम/निकटमत मार्ग मानते हुये रास्ता अंकित नजरी नक्शा के अनुसार 3.52 ऐअर भूमि बिलानाम सरकार किस्म रास्ता दर्ज रिकार्ड की जावें एवं इस हेतु प्रार्थीगण से प्रतिकर राशि 63,086/-रूपये वसूल की जाकर अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात के अनुसार हक हिस्से अनुसार वितरित किया जावें। इस हेतु तहसीलदार राशमी को आदेशित किया जाता है कि आदेशानुसार राशि प्रार्थीगण से वसूल की जाकर अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्से अनुसार वितरण किया जावें एवं तत्पश्चात् राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम करवाई जावें। प्रस्तावित लघुत्तम/निकटमत मार्ग मानते हुये रास्ता अंकित नजरी नक्शा प्रमाणित अंकन किया जाकर निर्णय का भाग रहेगा।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

तहसीलदार राशमी को आदेशित किया जाता है कि रास्ते हेतु प्रतिकर राशि 63,086-/- रूपये प्रार्थीगण से वसूल किये जाकर खातेदार अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्से अनुसार भुगतान किया जाकर मौजा भोपलाई पटवार हल्का पावली की आराजी संख्या 356 मौका रिपोर्ट में रास्ते हेतु प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार 3.52 ऐअर भूमि बिलानाम सरकार किस्म रास्ता दर्ज रिकार्ड की जावें। एवं नक्शें में आवश्यक तरमीम की जावें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.06.2023 को खुले मजमे आम कैम्प पावली में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2023.08.01 16:21:10 IST
Reason: SelfAttested